सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फ़ा सं. NCST/DEV-1633/JH/14/2023-ESDW **दिनांक : 20.12.2024**

सेवा मे,

सुश्री माधवी मिश्रा,
उपायुक्त, धनबाद,
समाहरणालय भवन,
प्रधान डाकघर के पास,
धनबाद -826001,झारखंड
ई-मेल: dc-dha@nic.in

विषय: स्कूल प्रशासन द्वारा सिद्धू कान्हू मैदान पर जबरन कब्ज़ा करने के संबंध में श्री नुनुलाल टुडू ,सिद्धू कान्हू सेवा दल, आदिवासी सांस्कृतिक कार्यस्थल एवं खेल मैदान, आर.एम.के.4 आकानाघुटू, सिन्दरी, धनबाद, झारखण्ड से दिनांक 15.03.2023 का अभ्यावेदन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 03.12.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की / रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय,

(एच.आर. मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
ई-मेल : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:
श्री नुनुलाल टुडू ,
सिद्धू कान्हू सेवा दल,
आदिवासी सांस्कृतिक कार्यस्थल एवं खेल मैदान,
आर.एम.के.4 आकानाघुटू,
सिन्दरी,जिला -धनबाद,
झारखण्ड
मोबाइल नं.:7870468824

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-1633/JH/14/2023-ESDW

स्कूल प्रशासन द्वारा सिद्धू - कान्हू मैदान पर जबरन कब्ज़ा करने के संबंध में श्री नुनुलाल टुडू, सिद्धू कान्हू सेवा दल, आदिवासी सांस्कृतिक कार्यस्थल एवं खेल मैदान, आर.एम.के.4 आकानाघुट्र, सिन्दरी, धनबाद, झारखण्ड की शिकायत पर आयोग के माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 03.12.2024 को हुई सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक	:	03/12/2024 को 11:00 बजे
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

शिकायत दिनांक 15.03.2023 श्री नुनुलाल टुडू से आयोग में प्राप्त हुई जिसमे उन्होंने बताया कि सिन्दरी आर. एम. के फोर कॉलोनी स्थित सिद्धू कान्हू मैदान, जो आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, यह मैदान कॉलोनी के निर्माण काल से आदिवासियों द्वारा खेल-कूद, पूजा-पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जा रहा था। 2002 में सिन्दरी खाद कारखाना बंद होने के बाद, इस मैदान का उपयोग और बढ़ गया। लेकिन डी. ए. वी. स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री आशुतोष कुमार ने इस मैदान पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके कारण कॉलोनी वासियों में असंतोष फैल गया। प्रधानाध्यापक ने आदिवासियों के धार्मिक प्रतीकों, जैसे सरना झंडा और सिद्धू कान्हू का बोर्ड हटाने की धमकी दी और आसपास के गांवों के बच्चों का एडमिशन भी न करने की चेतावनी दी। इस स्थिति के कारण आदिवासी समुदाय ने प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील की है, ताकि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को सुरक्षित रखा जा सके और इस विवाद का समाधान किया जा सके।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु उपायुक्त , धनबाद , झारखण्ड को आयोग की ओर से नोटिस दिनांक 01.05.2023 भेजा गया। आयोग के नोटिस के सन्दर्भ में कोई उत्तर / रिपोर्ट न प्राप्त होने पर आयोग के माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) द्वारा दिनांक 03.12.2024 को सिटिंग/सुनवाई तय की गई तदनुसार सम्बंधित प्राधिकारियों को सिटिंग /सुनवाई नोटिस जारी किए गए ।

3. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, जिला-धनबाद, झारखंड आयोग के समक्ष उपस्थित हुए | शिकायतकर्ता सुनवाई में अनुपस्थित रहे।

4. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

i. विद्यालय में अनुसूचित जनजाति के विधियार्थियों का नामंकन सुनिश्चित किया जाए और जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे कि किसी भी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ नामंकन के दौरान भेदभाव न हो।

ii. विद्यालय में सिद्धू – कान्हू जैसे अनुसूचित जनजाति के क्रांतिकारी नायक, जिन्होंने 1855 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हुई क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन क्रांतिकारियों की प्रतिमा लगाई जाए, जिससे विद्यालय में छात्रों को देश के ऐसे वीरों के बारे में पता चले और उनसे प्रेरणा मिले ।

iii. कथित भूमि पर मौजूद सरना स्थल का घेराव सुनिश्चित किया जाए।

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिन के भीतर आयोग को भेजने की व्यवस्था करें |

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi